

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरु)

पीठारीन अधिकारी श्री सूर्यकान्त शर्मा (आर.ए.एस.)

मु.न.-.....64...../2024

सोहन राम पुत्र केशराराम जाति मेघवाल निवासी बनियाला तहसील तारानगर जिला चूरु।

बनाम

- प्रार्थी -

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) तारानगर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट व धारा 88 आर.टी.एक्ट.

- अप्रार्थी -

निर्णय

दिनांक 19.06.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मय शपथ पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी के नाम कृषि भूमि रोही मौजा बनियाला तहसील तारानगर के खसरा सं. 424 तादादी 0.4805 हेक्ट., खसरा नं. 505 तादादी 3.1107 हैक्ट, खसरा नं. 507 तादादी 10.5586 हैक्ट. कुल तादादी 14.1498 हैक्ट. हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम सोहनलाल अंकित है जो गलत है, जबकि प्रार्थी का सोहन राम सही हैं। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड तथा अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम सोहन राम है। नाम में भिन्नता होने के कारण प्रार्थी को कृषि ऋण, फसल वेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब प्रार्थी जमाबन्दी में अपना नाम दुरुस्त करवाना चाहता है। जमाबन्दी में अपना नाम दुरुस्त करवाने के लिए प्रार्थी ने तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था। परन्तु तहसीलदार ने बिना किसी न्यायालय के आदेश के नाम दुरुस्त करने से इंकार कर दिया। इसलिए श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कृषि भूमि रोही मौजा बनियाला तहसील तारानगर के खसरा सं. 424 तादादी 0.4805 हेक्ट., खसरा नं. 505 तादादी 3.1107 हैक्ट, खसरा नं. 507 तादादी 10.5586 हैक्ट. कुल तादादी 14.1498 हैक्ट. में प्रार्थी का नाम सोहन राम किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार तारानगर के समक्ष दिये प्रार्थना पत्र में आई प्राप्त रिपोर्ट नायब तहसीलदार साहवा के अनुसार प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरुस्त करवाना चाहता है। अब प्रार्थी अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड, शपथ पत्र व अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी अपना नाम सोहनलाल की जगह सोहन राम करवाना चाहता है। आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सोहनलाल ही दर्ज है। अतः प्रार्थी सोहनलाल की जगह सोहन राम दुरुस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना उचित होगा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। नायब तहसीलदार साहवा की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड, पहचान पत्र से वादी का दस्तावेजीय नाम सोहन राम पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा बनियाला तहसील तारानगर के खसरा सं. 424 तादादी 0.4805 हेक्ट., खसरा नं. 505 तादादी 3.1107 हैक्ट, खसरा नं. 507 तादादी 10.5586 हैक्ट. कुल तादादी 14.1498 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टि सोहनलाल Delete कर इसके स्थान पर सोहन राम अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर/नायब तहसीलदार साहवा को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। इस विचार न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय निर्णय है। पत्रावली फ़ैसल प्रसार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।



(सूर्यकान्त शर्मा आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरु)